

नम्बर व
अहकाम,
हुकम की
में जारी

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम, जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

इजाजत के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।
प्रस्ताव का प्र. सं. 252 के तहत किया जा रहा है।
ही अतः प्र. सं. 212 प्र. सं. के तहत चलाने
का कोई औचित्य नहीं है। इस कारण प्र. सं.
212 प्र. सं. के दिनांक 01.10.2020 के तहत
माध्यम सिधेवाला के निरस्त किया जा रहा है।
प्रस्तावित सिधेवाला के तहत चलाने
सिधेवाला के तहत चलाने

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

